The question is:

"That this House agrees with the Eighty-seventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 28th April, 1966, subject to the modification that the Constitution (Amendment) Bill by Shri Hari Vishnu Kamath appearing at item 4 of paragraph 4 of the Report be referred back to the Committee."

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: Bill for introduction—Shri Yashpal Singh is not present.

15·38 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—*contd.*

(*Amendment of articles 75 and 164*), 1966 *by Shri Hari Vishnu Kamath*

Mr. Deputy-Speaker: Further consideration of the following motion moved by Shri Hari Vishnu Kamath on the 1st April, 1966:—

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration",

along with amendments.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है मेरा सुझाव है कि आधा घंटा समय और बढ़ा दिया जाय।

Mr. Deputy-Speaker: It has already been extended once.

श्री मधु लिमये : उस से क्या होता है ? इस के महत्व को देखते हुए कि इतने लोगों ने इस से दिलचस्पी ली है और अभी भी अनेकों सदस्य इस पर बोलना चाह रहे हैं यह उपयुक्त होगा कि इसका समय आध घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Because some more hon. Members want to speak.

Mr. Deputy-Speaker: I do not think there is any justification.

Shri Hari Vishnu Kamath: It may be put to the House.

Mr. Deputy-Speaker: Those who are in favour of further extension by half an hour may say 'Aye'.

Several hon. Members: 'Aye'.

Mr. Deputy-Speaker: Those who are against may say 'No'.

Some hon. Members: 'No'.

Mr. Deputy-Speaker: The 'Ayes' have it; the 'Ayes' have it. The time is extended by half an hour.

Shri P. R. Chakraverti (Dhanbad): As I had on an earlier occasion mentioned, when Mr. Kamath brings forward a proposal, I have to think seriously before I agree with him lest I should be led astray by his eloquence and magnetic personality. Here is a Bill where I am prompted to lend my support.

I feel as a student of history that all over the world this upper house, the concept of the upper house, has a historical origin. It started 3,000 years earlier, and with the development of the political institutions in the world, it has taken different shapes.

In India, when we framed our Constitution on the model of the U.S. federal system of government, and based also on the British system, we left out of account the fact that the Senators of U.S.A. are directly elected. Two Senators are elected from each State. There are 50 States now, and so 100 Senators. It is a very tough

[Shri P. R. Chakraverti]

job to be elected Senator, and it is far more important, at least ten times more than a Congressman. So, because of this importance, the Senator today can claim to represent the voice of the people. He is an elected parliamentarian, and he commands enormous respect and has enormous responsibility. But what about this poor show of the House here which is called the other place as Mr. Kamath says?

As I told the British parliamentary committee, an M.P. in India, *i.e.*, a Member of this House, represents one million people, while in England, it is only 85,000 of the population, that elect a M.P. which is less than the number of people represented by an M.L.A. here. So, in India, when we are elected from a constituency which has more than 800,000 to a million people, the importance attached to the representatives who are sitting in this House should be taken into serious consideration, when these administrative responsibilities are vested in certain persons.

I was rather pained to find that when in this august House of 505 representatives of Indian people there are eminent persons, who have wide learning and other attainments of merits, other persons, who have not been elected, who have no constituency, should be put in a responsible position. Whenever a Member of Rajya Sabha is confronted with any problem, he says, "Go to the M.P., go to the M.L.A.". All the same he claims to represent a State. Which State? The whole of the State. The Senator in the USA represents a State because he is elected from the State by adult franchise, but not in India. Here they are only elected by indirect election, and if somebody is favoured, by State leadership he may find a chance. So, why should administrative responsibility be handed over to them, denying the responsibility to the House which is really a representative institution? As such, I feel that it goes against the fundamental principles of our people's rights, and the upper house as it is constituted today cannot claim to be attaining the same importance as we find in other places of the world.

I do not take into account this hereditary, this archaic system of Britain. When I had occasion to speak before the British parliamentary group, I said, "You have the system of hereditary peers, we are not going to accept it. We have adopted another system. "Yet it is a fact that if through patronage or something else, a man can find a chance, then he comes here and takes his seat." What is the justification of having so many Ministers who are from the upper house. I feel very strongly on this point, and I lend my support to Mr. Kamath, though any times we differ.

This is a constitutional point that India's upper house should not and cannot stand comparison with other upper houses except the archaic house in England, the House of Lords, where they have hereditary peers, which we have not accepted. So, I would reitrate that the upper house cannot be said to have equal importance, as the Senate of America. If you have direct elections to the upper house I do not mind, but so long as the people are not directly elected, it should not be placed in charge of administrative responsibility.

Of course, there is the provision in the Constitution that the Ministry holds itself responsible to the Lok Sabha, the House of the People. Undoubtedly it is there, but it seldom falls to on lot, we seldom have the occasion to see whether we have any confidence in the Ministry or not. But, as it is today, the people of India must know that here are the people's representatives sitting, and it is the Lok Sabha, the House of the People which should be really in charge of the administration, holding itself accountable to the people. Wherever we go,

we say, "We represent you, and as such we are holding ourselves responsible to you; your aspirations, your ideas of growth, everything we share equally with you, and we are sharing also the responsibility with you". It is this sense of participation with the people which prompts us to see that it is really the people's House which should run the administration. As such, I am prompted to land my support, from the constitutional point of view, to Mr. Kamath, to the issues posed by him before the House, and I endorse it.

Shri N. Dandeker (Gonda): In supporting Mr. Kamath's Bill, let me make it quite clear at the outset that no disrespect is meant to the present Minister or to members of the Council of Ministers who belong to the other place. Nor indeed is any disrespect intended to the Members of the other place itself. What is intended is to make it quite clear that considering the mode of election of people to this House and the mode of election of persons to the other House, considering also the powers and privileges for instance taxation, fiscal measures and so on of this House and in relation to the powers and so on of the other place, there can be little doubt that the constitution of this country definitely regards, and rightly regards this House as the primary House. This is the House to which Members come as a result of periodical general elections held throughout the country, not just periodical, sectional and indirect elections of one-third of the Members, as is the case in the other House. And therefore the presumption, quite apart from the constitutional position, is that this House directly represents the public, it directly reflects public opinion, and in particular it specifically reflects every five years whatever change in public opinion there may have been in the country about the plans and the policies of Government.

The proposition which this Bill seeks to lay down in these circumstances is a perfectly simple one, namely, that in the first place, the Prime Minister shall be a Member of this House and not of the other place, and secondly that not more than one-fourth of the Council of Ministers shall be Members from the other House. In other words, there is no attempt to bar Members of the other place, from becoming members of the Council of Ministers, but the limiting proposition is this that since it is the Prime Minister who sets the tone of the whole Government and of Government policies, who is really responsible for the entire policies of the Council of Ministers, on the principle of joint and collective responsibility, presided over by the Prime Minister, he must be a Member of this House. The Prime Minister, for instance, has the right to resign collectively and by the simple act of the Prime Minister resigning, the whole Cabinet or Council of Ministers goes. It is the Prime Minister who forms the Council of Ministers; it is the Council of Ministers, therefore, and especially the Minister, who constitute the fulcrum, the operative mechanism in the whole of this Constitution. And I suggest therefore it is very proper and indeed necessary that the Prime Minister and by far the larger number of the members of the Council of Ministers ought to be Members of this House.

And the same goes as regards the Chief Ministers and the Council of Ministers of States. I do not think we ought in any manner, notwithstanding the limited ambit of powers and functions of the State Government, to belittle the importance of proper constitutional procedures, and proprieties, being followed in relation to the Constitution and the working of State Governments and State legislatures, as compared with the working of the Central Government and the Central Legislature.

There is no need, therefore, to elaborate very greatly on the proposition that, as at the Centre so also at the State level the Chief Minister should be a member of the Legislative Assembly, that is to say, of the House that is directly elected periodically, directly by the public, and that

[Shri N. Dandeker]

not more than one-fourth of the members of the Council of Ministers in a State Government should be members of the upper House there.

Without any question, therefore, I support this Bill. I am certain that this Bill should receive, and will receive, full support from all sections of the House and I am only waiting anxiously for the Hon'ble Shri Hathi to say that the Government also accepts the Bill.

Shri C. K. Bhattacharyya (Raiganj): Mr. Deputy-Speaker, Sir, almost on every private Members' day, for the discussion of the Bills, we get a Bill for constitutional amendment from Shri Kamath. When the Government bring in a Bill for the amendment of the Constitution, there is such a row from that side that this Government is wrecking the Constitution by amending it so many times and so repeatedly. But when my hon. friends themselves bring forward Bills for amending the Constitution, they feel no compunction about the sacrossanctness of the Constitution or its inviolability or anything.

Shri Sham Lal Saraf (Jammu and Kashmir): They drew some support somewhere from our policy.

Shri C. K. Bhattacharyya: Regarding this Bill itself, in recent years, it was Shri Rajagopalachari who set the example of a Chief Minister or a Prime Minister—Premier as he was called at that time—coming from the Upper House. Not only that; he was nominated by the Governor to the Upper House, and thereafter he became the Chief Minister. There is a precedent for this thing, such a great precedent for Dandeker as Rajaji, himself.

Shri N. Dandeker: If you would follow all the *other* precedents of Rajaji, in that case, I will accept your argument.

Shri C. K. Bhattacharyya: He was then in a regenerate state, not as he is now. Regarding the proposal that Shri Kamath has made, I do not dispute the higher authority of this House. Certainly this House has that authority, and nobody wants to make it a rule that the Prime Minister should come from the Upper House. It is only an accident to certain circumstances that it has happened so. Everybody would like to accept it as a convention, but to put it in the Constitution is to make it rigid. While I speak of the Upper House, if I remember aright, a parliamentary delegation came here from the Netherlands, and had a meeting with our Prime Minister, the late Pandit Jawaharlal Nehru. They raised the question whether the existence of the Upper House was necessary at all. The report, as it appeared in the press, was that the Prime Minister smiled and said, "It is there; it will not be there when its utility ceases." So, nobody wants now to make it sacrosanct, that the Upper House will have a certain number of members in the Ministry or that the Prime Minister should be from the Upper House periodically or for a certain definite time when it becomes necessary.

But Shri Kamath should realise and I believe that he does realise that this time we are in a difficulty because the two Prime Ministers died very close to each other and it was a time at which we had to choose the Prime Minister, when elections were not possible. The Election Commission itself had declared that there will be no by-elections. In those times, we had to choose our Prime Minister, in that way, and I believe our present Prime Minister would have been the first person to put herself in an election if it was open to her to do so.

I would suggest to Shri Kamath to withdraw his Bill and not try to encumber the Constitution with a proposition which it is not necessary to put in there.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, कामथ साहब ने जो विधेयक हमारे सामने रखा है, उसकी मैं त दिल से ताईद करता हूं। इस लिये कि जिस दिन इस सभा का सत्र प्रारम्भ हुआ और प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी पहले दिन सदन के सामने आई, तो उसी दिन आपको याद होगा कि मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, दो चीजों को ले कर, एक यह कि हमारे संविधान में कहा गया है और कामथ साहब ने अपने विधेयक में उन्हीं धाराओं का उल्लेख किया है कि "हिन्दुस्तान की सरकार (केन्द्रीय सरकार) की जिम्मेदारी रहेगी, दायित्व रहेगा, हमारी जो यह लोक सभा है उसके प्रति" यह धारा 75(3) है—

> "The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People."

और उसी तरह से 75(1) में कहा गया है कि "मंत्री मण्डल का प्रमुख प्रधान मंत्री होगा।" अब जिस सरकार का दायित्व लोक सभा की ओर है और उस लोक सभा में इस मंत्रि मंण्डल का प्रमुख नहीं है तो मेरा यह कहना है कि मंत्री मण्डल बिना दिमागवाला, बिना मस्तिष्क वाला (हेड) है और वह बैध नहीं हो सकता है। इस जिये मैं यह कहूंगा कि यहां पर जो हमारा संविधान है, उस से बात बिल्कुल साफ है कि प्रधान मंत्री हो या मुख्य मंत्री हो, उसका लोक सभा और विधान सभा में रहना अनिवार्य है।

हम लोग हमेशा बात करते हैं अंग्रेजों की परम्पराओं की, संकेतों की, तो हमें यह देखना चाहिये कि इंगलिस्तान में यह सिद्धांत माना गया है कि हमेशा प्रधान मंत्री हाउस आफ कामन्स से ही होना चाहिये। यह कैसे पैदा हुआ और कैसे प्रस्थापित हुआ? मेरा ख्याल है कि पहले दिन जो चर्चा हुई थी, मैं उस में उपस्थित नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल है कि कामथ साहब ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि इंगलिस्तान में लार्ड साल्सबरी के बाद कोई भी प्रधान मंत्री हाउस आफ लार्डज से नहीं हुआ। अब 1937 की यह जेनिंग्ज साहब की किताब है, जेनिंग्ज साहब एक बड़े संविधान के, कांस्टीट्यूशन के विद्वान और पंडित थे। उन्होंने यह कहा था कि यह संकेत तो है लेकिन यह कोई नियम या सिद्धांत नहीं हुआ है। वे उस पुस्तक के छठे पृष्ठ पर लिखते हैं——

> "Again, the fact that the King asked Mr. Baldwin and not Lord Curzon to form a government in 1922 does not of itself imply that the King must never in future appoint a peer as Prime Minister."

यह बात उन्होंने 1937 में लिखी, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लार्ड साल्सबरी के बाद इंगलिस्तान के किसी भी राजा की या रानी की यह जुरंत नहीं हुई कि किसी हाउस आफ लार्डज के सदस्य को वह प्रधान-मंत्री नियुक्त करे। तो 1937 तक जिसको केवल संकेत माना जाता था, प्रस्तावित सिद्धान्त नहीं माना जाता था, उसके बाद ऐसी घटना हुई कि अब ब्रिटेन में इस के बारे में कोई बहस ही नहीं हो सकती। लार्ड साल्सबरी के बाद दो दफा यह मामला आया। 1922 का मैंने जिक्र किया, उस वक्त कन्जरवेटिव पार्टी के सब से बड़े नेता, बुद्धिमान नेता, योग्य नेता, लायक नेता लार्ड करजन साहब थे, जो हिन्दुस्तान के वायसराय भी रह चुके थे। सभी लोग यह मानते थे कि उन्हीं को वहां के राजा बुलायेंगे मंत्री मण्डल बनाने के लिये। लार्ड साल्सबरी के बाद इंगलैण्ड में कुछ ऐसी घटनायें हो गई कानून बने और हाउस आफ लार्डस की ताकत दिन प्रति दिन घटती गई और खास कर के जब इंगलैण्ड में उदारवादी हुकूमत थी तो हाउस आफ लार्डस के अधिकारों को कम करने का विधेयक पेश होने के बाद स्थिति बदल गई और इसी लिये 1922 में राजा ने कर्जन

[श्री मधु लिमये]

साहब को नहीं बुलाया जो हाउस ग्राफ लार्डज में थे, बल्कि उन्होंने वालडविन साहब को बुलाया जो वहां की लोक सभा (हाउस ग्राफ कामन्स) के सदस्य थे।

उसके बाद फिर एक दफा यह सवाल खड़ा हुआ। 1937 तक तो जैनिंग साहब कहते हैं कि संकेत है लेकिन नियम नहीं है, प्रस्थापित सिद्धान्त नहीं है। लेकिन 1940 में जब चैम्बरलेन साहब ने इस्तीफा दिया। वह स्वयं चाहते थे कि हैलीफैक्स इंगलैण्ड के प्रधान मंत्री चुने जायें। लेकिन खुद लार्ड हैलीफैक्स ने साफ साफ चैम्बरलेन ग्रौर टोरी पार्टी के ग्रन्य नेताग्रों से कहा कि चूंकि मैं हाउस ग्राफ लार्डज में हूं, इस वास्ते मेरा इंगलैण्ड का प्रधान मंत्री बनना सर्वथा ग्रनुचित होगा। इसलिए उन्होंने चैम्बरलेन साहब से कहा कि हो सकता है कि ग्राप चचिल साहब से नाराज हों लेकिन चूंकि चचिल साहब हाउस ग्राफ कामन्स में हैं इस वास्ते उन्हीं को नेता चुनना चाहिये। ग्रौर राजा को ग्रापको सलाह देनी चाहिये कि वह चर्चिल साहब को मंत्रिमण्डल बनाने के लिए बुलायें न कि हैलीफैक्स साहब को। यह जब 1940 में हुग्रा। उसके बाद जैनिंग साहब जैसे लोग भी यह महसूस करने लग गए कि ग्रब इंगलैण्ड में यह जो संकेत या परम्परा है यह इतनी प्रस्थापित हो गई है, इतनी दृढ़ हो गई है कि ग्राइंदा इस में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।

पालियामेंट के ऊपर इन्होंने जो किताब लिखी है उस में वह खुद जो नई स्थिति इंगलैण्ड में पैदा हो गई है उसके बारे में लिखते हैं कि प्रधान मंत्री का क्या ग्रधिकार ग्रौर क्या काम होता है। वह पृष्ठ 79 में यह कहते हैं :—

"He (Prime Minister) leads the House, behind the Speaker and in company with the Leader of the Opposition, to listen to the Queen's speech which probably he drafted in the House of Lords."

16.02 hrs.

[SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

यानी प्रधान मंत्री हाउस ग्राफ कामन्स का होता है, इसलिए उसको ग्रधिकार होगा कि सभापति के पीछे पीछे हाउस ग्राफ लार्ड्स में कामन्स को लेकर जाते हैं।

सभापति महोदय : ग्रब ग्राप एक मिनट में खत्म करें।

श्री मधु लिमये : दो तीन मिनट तो दीजिए एक मिनट में क्या होगा।

सभापति महोदय : बात यह है कि पांच बजे से पहले इसको खत्म करना है।

श्री मधु लिमये : मैं जल्दी खत्म कर देता हूं।

ग्रागे वह कहते हैं :

"He proposes the election or re-election of the Speaker and moves a vote of thanks when the Speaker, retires."

ग्रगला वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है।

"In short, when the House speaks as a corporate body he speaks, on its behalf."

ग्रर्थात वह पूरे सदन की ग्रोर से बोलता है। लेकिन यहां पर चूंकि राज्य सभा की सदस्य प्रधान मंत्री बन गई हैं, इस सदन की ग्रोर से जो प्रधान मंत्री को बोलना चाहिये, वह यहां पर नहीं हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद जिस तरह से ग्रौर ऐसे प्रधान मंत्री का चयन किया गया है जोकि राज्य सभा की सदस्य हैं, वह बहुत ही गलत हुग्रा है। इस वास्ते उनको इस्तीफा देना चाहिये था राज्य सभा से जैसे कि संविधान में है, छः महीने तक कभी भी वह लोक सभा का चुनाव लड़ सकती थीं ग्रगर हार जीत जातीं तो वह प्रधान मंत्री के नाते ग्रागे चल सकती थीं।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं। इंगलैण्ड में हाउस आफ कामन्स की प्रतिष्ठा, उसके अधिकार इतने मजबूत होते चले जा रहे हैं कि जब मैकमिलन साहब की हुकूमत थी सात आठ साल पहले और सैलविन लाइड उन दिनों वहां के विदेश मंत्री थी, जब वह हट गए तो लार्ड ह्यूम को मैकमिलन साहब ने विदेश मंत्री नियुक्त किया। उस वक्त इंगलैण्ड की लोक सभा में विरोधी दल ने बड़ा हल्ला किया था और कहा था कि इंगलैण्ड में अब तक यह संकेत प्रस्थापित हुआ है कि प्रधान मंत्री लोक सभा से होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ अब यह संकेत प्रस्थापित होना चाहिये कि विदेश मंत्री जैसा महत्वपूर्ण मंत्री भी हाउस आफ कामन्ज़ का हो।

मैंने इन सारे तथ्यों का इसलिए जिक्र किया है कि इंग्लैंड में कोई लिखित संविधान नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है कि दायित्व हाउस आफ कामंज़ के प्रति होना चाहिये जैसा कि हमारे संविधान की धारा 75 में लिखा है, उसके बावजूद भी वहां यह परम्परा बन गई है कि जो जनता द्वारा चुना गया हो वही प्रधान मंत्री बन सकता है। हमारे यहां तो लिखित संविधान है। इस लिए मैं निवेदन करता हूं कि कामत साहब के विधेयक की यह सदन पुष्टि करे और इसको पास करे। अगर यह बिल पास नहीं होता है तो कम से कम प्रधान मंत्री स्वयं राज्य सभा से इस्तीफा दे कर लोक सभा का चुनाव लड़ें और एक नई परम्परा कायम करें।

Mr. Chairman: How much time does the hon. Minister want?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): About 15 minutes.

Shri Hari Vishnu Kamath: By your leave, Sir, may I make a humble request that, as the House has evinced so much interest in the Bill, if my hon. colleague, Shri A. T. Sarma, whose Bill is next on the list, will agree, if enough time is given to him, say five minutes, to move the Bill, at about five minutes to six o'clock....

Shri A. T. Sarma (Chatrapur): If I do not get a chance, the Bill will be dropped.

Shri Hari Vishnu Kamath: Automatically your Bill goes to the next session.

Shri A. T. Sarma: In case time is extended, I may be permitted to move my Bill first.

Shri Hari Vishnu Kamath: I am making a suggestion—if it is acceptable to the House—that as more Members want to speak on this Bill, looking to the importance of the Bill time may be extended I leave it to the House.

Shri A. T. Sarma: Let me move my Bill.

Shri Hari Vishnu Kamath: More and then continue in the next session.

Mr. Chairman: Shri Shree Narayan Das. I would request hon. Members to speak for five minutes only now so that we are able to cover even more speakers.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): How long will it go on?

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : सभापति महोदय, माननीय कामत जी ने जो विधेयक इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया है उसके सिद्धान्त से मैं समझता हूं कि

[श्री श्रीनारायण दास]

इस सदन के सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे । मैं भी इसका समर्थन करता हूं ।

इसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि लोक सभा भारतीय संसद का एक मुख्य अंग है । राज्य सभा का जैसा संगठन है, उसको आप देखें । राज्य सभा के सदस्य जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं । राज्य सभा के सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि हैं . . . . .

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) वह रिहैबिलिटेशन चेम्बर है ।

श्री श्रीनारायण दास : राज्य सभा के सदस्य संविधान के मुताबिक लोगों द्वारा, जनता द्वारा चुने गये सदस्य नहीं हैं । वे वहां राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में हैं । इसलिए यह मुनासिब है कि देश के संचालन के लिए, राज्य संचालन के लिए जो मंत्री मंडल कायम किया जाए और मंत्री मंडल में मुख्यत: प्रधान मंत्री जो हो, तो लोक सभा के किसी सदस्य को ही होना चाहिये ।

हमारे माननीय सदस्य ने कहा है इस बिल में कि एक सीमित संख्या राज्य सभा के सदस्यों की मंत्रीमंडल में रहे, उससे अधिक न रहे । इस बात का ज़िक्र संविधान में नहीं किया गया है । लेकिन मैं समझता हूं कि संविधान बनाने वालों का आशय यह था कि हमेशा प्रधान मंत्री तो कम से कम लोक सभा का ही सदस्य होगा । इस बार ऐसा संयोग हुआ है कि अभी हमारी जो प्रधान मंत्राणी जी हैं वह राज्य सभा की सदस्य हैं । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान के अधीन कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति मंत्रीमंडल का सदस्य बन सकता है लेकिन उसको दोनों सदनों में से किसी एक सदन का छः महीने में सदस्य बनना होता है और छः महीने तक वह बिना सदस्य बने मंत्री रह सकता है । लेकिन क्या प्रधान मंत्री छः महीने तक बिना किसी सदन का सदस्य बने, लोक सभा या राज्य सभा का सदस्य बने प्रधान मंत्री रह सकता है या नहीं मैं समझता हूं कि यह संविधान में स्पष्ट नहीं किया गया है

श्री हरि विष्णु कामत : उसका एमेंडमेंड नहीं हो रहा है । वह बहाल रहेगा ।

श्री श्रीनारायण दास : तब ठीक है । अगर संविधान में इस बात का कोई निषेध नहीं किया गया है तो जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने पिछली बैठक में भी और अभी भी इस बात का समर्थन किया है कि लोक सभा का सदस्य ही प्रधान मंत्री हिन्दुस्तान का बने, उसका मैं भी समर्थन करता हूं । अगर किसी समय में ऐसी आवश्यकता आ पड़े कि ऐसे व्यक्ति को प्रधान मंत्री बनाना पड़े जो कि लोक सभा का सदस्य नहीं तो छः महीने तक तो वह बिना सदस्य बने हुए इस पद पर रह सकता है । मगर कामत जी के मत का मैं पूरा समर्थन करता हूं कि यह जरूरी नहीं है कि इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाए बल्कि देश में ऐसी परम्परा चलाई जा सकती है और उसका समर्थन किया जा सकता है । माननीय सदस्यों का मत है और मैं समझता हूं कि सरकार भी इस बात से सहमत है कि लोक सभा का ही सदस्य प्रधान मंत्री बने ।

हमारे कामत साहब ने अपने विधेयक में यह भी दिया है कि जितने मंत्री गण होंगे उन में से अधिक से अधिक एक चौथाई राज्य सभा के हो सकते हैं । इसी तरह से विधान सभाओं के लिए भी उन्होंने दिया है कि मंत्रिमंडल की जितनी भी तादाद हो उसके अधिक से अधिक एक चौथाई विधान परिषदों से होनी चाहिये । मैं समझता हूं कि यह नया विषय है । मैं इस बात के महत्व को समझता हूं और इस बारे में कहना चाहता

हूं कि मंत्रियों की संख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है इस देश में उसको रोकने की कोशिश जरूर होनी चाहिये । लेकिन इस विधेयक में इस बात का कोई जिक्र नहीं है । मैं तो समझता था कि लोक सभा में जितनी सदस्यों की संख्या होती है उसके मुताबिक निश्चित प्रतिशत में मंत्रिगण हों, लेकिन जिस रफ्तार से मंत्रियों की तादाद बढ़ रही है वह स्वस्थ राजनीति का लक्षण नहीं है । इसलिये इस बात का भी निर्णय होना चाहिये कि मंत्रियों की संख्या अधिक से अधिक कितनी होगी और कम से कम कितनी होगी । लेकिन चूंकि इस विधेयक में यह रखा गया है कि राज्य सभा के अधिक से अधिक एक चौथाई और विधान परिषदों के भी अधिक से अधिक एक चौथाई मंत्री क्रमशः केन्द्रीय तथा राज्य मंत्रिमंडल में होंगे, मैं कहना चाहता हूं कि यह नया विषय है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है ।

जहां तक प्रधान मंत्री का सवाल है, प्रधान मंत्री हर हालत में लोक सभा का सदस्य होना चाहिये । हमारा देश प्रजातांत्रिक है और यही इसकी परम्परा होनी चाहिये । इसके लिये यदि आवश्यक हो तो संविधान का संशोधन किया जाये ।

श्री बड़े (खारगांन) : श्री कामत ने जो बिल पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं, और समर्थन करते हुए मैं श्री कामत से विनती करूंगा कि वह दूसरा विधेयक ऐसा लावें कि राज्य सभा जो है उसको ही खत्म किया जाये, क्योंकि आज राज्य सभा या अपर हाउसेज अनाथालय से हो गये हैं । यह जो राजनीतिक पार्टी के अनाथ लोग हैं उनके लिये हो गये हैं ।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि हमारे शब्द अच्छे होने चाहियें । बड़े शानदार होने चाहियें । मैं पालियामेन्टरी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि शानदार होने चाहियें ।

श्री मधु लिमये : ठीक ही बोल रहे हैं ।

श्री चन्द्रमणिलाल चौधरी (महुआ) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । मेरे दोस्त बड़े बुजुर्ग है, मैं उनकी काफी इज्जत करता हूं . . .

श्री मधु लिमये : नियम संख्या बताइए ।

सभापति महोदय : आप पहले अपना प्वाइंट आफ आर्डर बतलाइये ।

श्री चन्द्रमणिलाल चौधरी : मैं बतला रहा हूं । अगर इस तरह से करेंगे तो हम भी करेंगे । हम आप से हंगामा करने में कम नहीं हैं । लेकिन हमारे ऊपर एक कमान्डर है, हम उस से गाइड होते हैं ।

सभापति महोदय : आर्डर, आर्डर । आप बैठ जाइये । जब भी कोई प्वाइंट आफ आर्डर उठाना हो, आप को उसको उठाने का हक है । लेकिन तकरीर नहीं करनी चाहिये । आप क्या कहना चाहते हैं यह बतलाइये । मैं चाहता हूं कि यहां बडे आर्डरली तरीके से कार्यवाई हो ।

श्री चन्द्रमणिलाल चौधरी : मैं आप का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि अनाथाश्रम शब्द जो है वह किस तरह का है । हम लोगों में अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर दोनों के मेम्बर हैं । इस तरह के शब्द कहना हाउस का अपमान है । इससे शर्मनाक बात और नहीं हो सकती । जब उनकी पार्टी के मेम्बर भी हैं राज्य सभा में और विधान परिषदों में तो यह हिन्दुस्तान जैसी डेमोक्रैसी में शर्म की बात मालूम पड़ती है ।

सभापति महोदय : यह कोई प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर नहीं है । लेकिन मैं बहुत हद तक सहमत हूं माननीय सदस्य से कि हमें डिकोरम और डिग्निटी को कायम रखने के लिये शानदार लफ्ज इस्तेमाल करने चाहियें और श्री बड़े ऐसा कर सकते हैं ।

श्री बड़े : मैं पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि मैं उनकी कोई इन्सल्ट नहीं करना चाहता था । क्या परिस्थिति ग्राज है मैं केवल वही बतलाना चाहता था ।

श्री शिव नारायण (बांसी) : ग्रटल बिहारी वाजपेयी से कह दो कि वह इस्तीफा दे दें ।

श्री बड़े : इस संशोधन विधेयक के बारे में माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस तब संविधान में संशोधन करने की बात कहती है जब विरोधी दल के लोग हल्ला मचाते हैं । लेकिन कांग्रेस ने 19 दफे संविधान का संशोधन किया है । हम संविधान में संशोधन इसलिये लाते हैं कि संविधान का मिसयूज होता है । ऐसी ही परिस्थिति में संविधान में संशोधन करने की कोशिश की जाती है । जब उसका मिसयूज होता है और जनता में उसके विरुद्ध ग्रसन्तोष होता है, उस पर टीका टिप्पणी होती है तब हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम पालियामेन्ट के सामने ग्रायें और कहें कि संविधान में यह दोष है और उसका मिसयूज किया गया है ।

प्रथम दिवस एक ग्रापत्ति उठाई थी मेरे मित्र श्री मधु लिमये ने कि सदन में लीडर ग्राफ दि हाउस कहां बैठें और प्राइम मिनिस्टर कहां बैठें । प्राइम मिनिस्टर को पहली सीट पर बिठलाया गया । इस की चर्चा होने के बाद स्पीकर ने रूलिंग दे दी । इसका मतलब यह है कि लोगों के मन में शंका है कि लीडर ग्राफ दि हाउस को फ्रंट सीट पर पहली जगह बैठना चाहिये या दूसरी जगह बैठना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि हाउस ग्राफ लार्ड्स नाम की जो संस्था है जिसमें पियर्स और बैरन्स ग्रथवा जागीरदार लोग बैठते हैं । उन लोगों के हाथ से साधारण जनता ने सत्ता ग्रपने हाथ में ले ली इसलिये हाउस ग्राफ लार्ड्स को गोबर गणेश जैसा बना कर के रख दिया और सारी सत्ता हाउस ग्राफ कामन्स में ले लिया । ग्रपने यहां कोई ऐसे पिग्रर्स और बैरन्स नहीं थे जिनके लिये हाउस ग्राफ लार्ड्स जैसी संस्था होनी चाहिये । मैं तो कहता हूं कि जब ग्राप ने ग्रपने यहां ऐडल्ट फ्रैन्चाइज का नियम बनाया है तो जहां पर भी एलेक्टेड मेम्बर ग्रायेंगे वहीं के लोग जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे । यह एक साधारण सा प्रिंसिपल है । इसके बारे में किसी को बड़ी बड़ी किताबें लिख कर बतलाने की जरूरत नहीं है न मार्ग दिखलाने की जरूरत है । ग्रपने यहां का ग्रलाहदा इतिहास है । हमारे पास एक बैकग्राउंड है । उस बैकग्राउंड में यह है कि जनता ने ब्रिटिश सत्ता को यहां से हटाने के बाद सत्ता ग्रपने हाथ में ले ली । जनता के जो प्रतिनिधि यहां पर ग्राये हैं उनके हाथ में सत्ता होनी चाहिये । इसलिये प्राइम मिनिस्टर भी इसी हाउस का होना चाहिये । साथ ही साथ मिनिस्टर भी इसी हाउस के होने चाहियें ।

ग्राज सीलिंग का युग है । इसलिये मंत्रियों की संख्या पर भी सीलिंग की जरूरत है । इसी बात को देखते हुए यहां पर एक चौथाई की सीलिंग लगाई हुई है । मैं इससे सहमत नहीं हूं । मैं तो कहना चाहता हूं कि श्री कामत ने डरते डरते एक चौथाई की सीलिंग रखी है । चूंकि यह सीलिंग का युग है इसलिये उन्होंने सोचा कि कांग्रेस के जितने भी मेम्बर्स हैं वह इस से खुश होंगे । मैं कहना चाहता हूं कि एक चौथाई सीलिंग भी नहीं होनी चाहिये ।

तीसरी बात यह है कि जो बैकडोर एंट्री है वह बहुत खराब बात है । हाउस ग्राफ लार्ड्स या ग्रपर हाउस या राज्य सभा के

मेम्बर हो कर लोग यहां आयें और आ कर प्राइम मिनिस्टर हो जायें, इस को ही बैकडोर एंटी जनता कहती है । इसलिये बैकडोर एंट्री होना ठीक नहीं है । पीछे के दरवाजे से आ कर फिर प्राइम मिनिस्टर हो जाना, इसको जनता में कोई विशेष अच्छा नहीं समझता । इस वास्ते मैं समझता हूं कि जिस तरह से हाउस आफ कामन्स में जनता का प्रतिनिधित्व है उसी तरह से यहां पर भी जो प्राइम मिनिस्टर हो वह इसी हाउस का होना चाहिये । इसके सम्बन्ध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । जो भी राज्य सभा का मेम्बर होता है वह स्टेट्स से चुन कर आता है । वहां की जो रूलिंग पार्टी होती है वह उस को चुनती है और चुने जाने के बाद वह राज्य सभा का मेम्बर हो जाता है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब खत्म करें।

श्री बड़े : अगर आप मेरे भाषण से ऊब गये हों तो मैं खत्म कर देता हूं ।

सभापति महोदय : मैं ने आप से कहा था कि आप पांच मिनट बोलें । बहुत से लोग बोलने वाले हैं । आप ने तो काफी कह दिया है ।

श्री बड़े : मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं । संविधान का संशोधन कई दफे कांग्रेस पार्टी ने कराया, वह कह दिया । प्रथम दिवस जो आपत्ति उठी उसे बतला दिया, हाउस आफ लार्डस से कम्पेअर करना ठीक नहीं है, यह कह दिया, बैकडोर एंट्री ठीक नहीं, यह भी बतला दिया । पांच मिनट में यह चार पांच बातें मैं एक एक मिनट में बतलाने वाला था । लेकिन अब उन के ऊपर थोड़ा सा और कहना चाहता था ।

अन्त में इतना ही कह देता हूं कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री रा० स० तिवारी (खजुराहो) : सभापति महोदय, मैं कामत जी के प्रस्ताव का आंशिक समर्थन करता हूं । बाकी तीन चौथाई उसका विरोध करता हूं क्योंकि जिस समय यह विधान हमारा बन रहा था, सभापति महोदय, उस समय मैं भी उसमें था । जब यह विधान बनाया गया तो इस विधान के बनाने के लिए हमने सारे राष्ट्रों के विधानों को मंगाया और उनकी जो अच्छी से अच्छी धारायें हमारे सामने थीं वह धारायें हमने इसमें रखीं । अभी एक सज्जन बड़े साहब कह रहे थे कि यह यतीमखाना है या क्या है ? तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह कांग्रेस वालों के लिए यतीमखाना है तो आपके भी दो तीन सदस्य उसमें हैं । उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

सभापति महोदय : मैंने माननीय सदस्यों से अभी कहा कि यहां जो कुछ भी बहस हो वह शानदार होनी चाहिए ।

श्री रा० स० तिवारी : मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी कामत साहब यह भी कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में माइनारिटी के तीन चार आदमी जो राष्ट्रपति नामजद करते हैं वह भी नहीं रहने चाहिए । एक प्रश्न यह आयेगा । लेकिन भारत की परिस्थिति के अनुसार विधान बनाया गया था । भारत की परिस्थिति ऐसी थी कि माइनारिटी को आप अब भी वोट से नहीं ले सकते, तो माइनारिटी का ध्यान रखना है तो नामजद करना ही होगा । इसी प्रकार से अगर आपको देश की परिस्थिति के अनुसार चुनाव करना है तो परिस्थिति के अनुसार यह संविधान हमारा सही है और यही होना चाहिए । दूसरा हो नहीं सकता । इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो आप संशोधन चाहते हैं उसको उठा लीजिए, इससे कोई लाभ नहीं है ।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर): सभापति महोदय, मैं श्री कामत के बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं । जब श्री मधु लिमये अपना

[श्री काशी राम गुप्त]

भाषण दे रहे थे और वह अंग्रेजों के कन्वेन्शन का उदाहरण दे रहे थे तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनको यह क्यों करना पड़ रहा है। किन्तु अब मुझे जानकारी मिली कि उनका मत है कि चूंकि कांग्रेस का दिमाग अंग्रेज़ों का दिमाग है इसलिए उस दिमाग को समझाने के लिए उनको उसका सहारा लेना पड़ा। किन्तु मैं तो कांग्रेस के दिमाग में कांग्रेस का ही सहारा दूंगा और यह ध्यान दिलाऊंगा कि सन् 57 के चुनाव के लगभग कांग्रेस की प्रबन्धकारिणी ने यह निश्चय किया था कि प्राइम मिनिस्टर का तो क्या सवाल है जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वह भी राज्य-सभा के नहीं होंगे। और यह लगभग 57 के समय हुआ था। उस के बाद आहिस्ता आहिस्ता यह खिसकने लगे और उसका यह नतीजा हुआ कि इनको प्रधान मंत्री को भी राज्य-सभा से लेना पड़ा। यही इस बात को जाहिर करता है कि कामत साहब का बिल परम् आवश्यक है और सामयिक है। अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने इन्दिरा जी को पहले उस समय भी सुना जब वह अध्यक्ष थीं कांग्रेस की और उन्होंने उस अध्यक्ष होने के नाते मेरे यहां अलवर में एक भाषण दिया था जिसमें यह कहा था कि यदि उनको यह सब महसूस होगा कि वह कांग्रेस के उसूलों के ऊपर अपना असर नहीं डाल सकतीं तो इस्तीफा दे देंगी। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ अब और दूसरी बात यह कि जब हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तो पहली बार चर्चा हुई कि कौन प्रधान मंत्री बने और कौन चुनाव के लिए खड़ा हो और उस समय चुनाव के लिए खड़े होने की सहमति उन्होंने नहीं दी अन्यथा बहुत से कांग्रेस के सदस्यों का मत था कि वह चुनाव लड़ें। किन्तु फिर विजयलक्ष्मी जी को मैदान में आना पड़ा और उन्होंने चुनाव लड़ा। तो जिस समय प्रधान मंत्री का चुनाव हुआ तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार इन्दिरा जी ने उसे कबूल किया और उसके बाद जो हरकतें हुई, उसके बारे में क्या मैं कहूं? जो सूबेदारों को बुलाया गया, मुख्य मंत्रियों को और उन के ज़रिये से चुनाव कराया गया वह बहुत ही हास्यास्पद है। इसलिए सब बातों को देखते हुए यह बहुत आवश्यक हो गया है कि इसको कानूनी जामा पहनाया जाय। जो साथी कहते हैं कि कानूनी जामा नहीं पहनाना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि कानून बनता तभी है जब हमारा काम कन्वेन्शन से नहीं चलता, आचार संहिता को नहीं माना जाता, गिरावट की बात आ जाती है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कल को यह होगा कि क्रान्ति आयेगी और राज्य-सभा को समाप्त किया जायगा। फिर जब यह राज्य सभा समाप्त होगी तब यह बात होगी। इसलिए इसको ठीक रखना है, अपनी परम्पराओं पर चलना है, उन परम्पराओं पर चलना है जो कांग्रेस की परम्परायें थीं जिस कांग्रेस में कृपलानी जी थे और बड़े बड़े महात्मा लोग थे, तो उनको यह चाहिए कि जैसे शानदार बातों को हम करना चाहते हैं, सभापति महोदय ऐसा कह रहे थे कि शानदार भाषण दो, मैं तो यह कहूंगा कि शानदार भाषण ही नहीं शानदार काम करना चाहिए और वह काम तभी हो सकता है जब कि कामत साहब के बिल को मान लें। मैं हाथी साहब से निवेदन करूंगा कि इस बिल को मान लिया जाय। हो सकता है उसमें आपको कठिनाई हो तो उसको आप दूसरे रूप में लाइए ताकि हमारे देश का मस्तक ऊंचा हो और हमारा प्रधान मंत्री जो भी बनें वह इस सदन का सदस्य हो। यही मुझे निवेदन करना था।

Shri Inder J. Malhotra (Jammu and Kashmir): I half-heartedly support Shri Kamath's Bill because I agree with him in principle, but do not agree with some of the things he has suggested. I do not think any of us who has got any little thing to do with political life or public affairs would at any time challenge the principle of his Bill that the Prime Minister of a democratic country should

belong to the House of the People. I agree with this aspect of his Bill: But I was a little pained to listen to the remarks made by some hon. Members regarding the election of the personality of our present Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi.

Shri Bade characterised it as backdoor entry. This was not really justified on his part, to give this impression in this House, because the impression he gives here would be carried outside.

Shri Bade: It is already there outside.

श्री मधु लिमये : और बैंक डोर क्या होता है ?

सभापति महोदय : उनको भाषण देने दें ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, उसके बिना क्या मजा आयेगा ? बैक डोर एन्ट्री क्या होती है जरा समझायें ।

सभापति महोदय : मेरी एक प्रार्थना है कि जब कोई भी साहब बोलें तो उसे अटेंटिवली सुनें । रनिंग कमेंट्री न करें । हां कभी थोड़ा बहुत इन्टरप्शन हो तो वह ठीक है लेकिन इस तरह की रनिंग कमेंटी ठीक नहीं है ।

Shri Inder J. Malhotra: I feel that to make out of the way references and remarks of this kind and giving such impression that the present Prime Minister is rather shy of fighting election to the Lok Sabha is not at all proper. It rather pained me to hear such an impression being given to this House.

Shri Hari Vishnu Kamath: I did not say that.

Shri Inder J. Malhotra: Shri Bade gave that impression.

As far as the personality of Shrimati Indira Gandhi is concerned, she is well known all over the country and even outside. She has been for a very long number of years a national leader of this country. It is just a matter of coincidence that when she was called upon by the party, the nation and the country to hold this office of Prime Minister, she happened to be a Member of the Rajya Sabha.

I was rather educated to hear from Shri Gupta that Shrimati Indira Gandhi after Pandit Nehru's death was asked by the Congress Party to fight the election to the Lok Sabha but she refused. I do not think any such thing happened in the Congress Party at that time.

I would only make an appeal to hon. Members. While we agree in principle that the Prime Minister of the country should always belong to the House of the People, we should be rather careful in making out of the way remarks and references, which are absolutely unjustified, concerning the personality of the Prime Minister.

One more point to which I would like to draw the attention of the hon. Minister and the hon. Mover, When the Mover suggests that one-fourth of the Council of Ministers should...

Shri Hari Vishnu Kamath: Not more than one-fourth should belong to the other House. If it is zero, I will be happy.

Shri Inder J. Malhotra: As far as the number of the Council of Ministers is concerned, I feel this should entirely be left to the judgment of the Leader of the House, the Prime Minister, and the Chief Ministers, because it is really not possible in a developing country like India to fix the number of Ministers like that. After every span of time, the administrative work goes on increasing, and naturally with the increase of administrative work, more Ministers will be required.

[Shri Inder J. Malhotra]

In the end, I would like my hon. friend, the Minister of State of Home Affairs, Shri Hathi, to convey this to the Leader of the House and the Prime Minister, that while appointing the ministers, this should be taken into consideration that such persons are put in charge of such departments of which they have at least a little knowledge, because then they will be in a better position to discharge their duties.

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर): सभापति महोदय, श्री हरि विष्णु कामत के इस संशोधन विधेयक का जहां तक सम्बन्ध है मैं उसमें निहित भावना का समर्थन करता हूं । यह विधेयक अगर सरकार मान भी ले तो भी यह शायद पास नहीं होगा क्योंकि इसके पास होने के लिये संविधान के आधार पर सदन के दो तिहाई मेम्बर्स मौजूद होने चाहिएं और उन्हें वोट देना चाहिए तभी कोई संविधान (संशोधन) विधेयक पारित हो सकता है इसलिए अगर सरकार इसे मान भी ले तो भी आज दो तिहाई तो है नहीं इसलिए यह पास होने वाला नहीं है लेकिन सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भाव इस बिल के अन्दर है उसकी मान्यता होनी चाहिए ।

यह विषय उठा ही क्यों ? अगर उनके प्रधान मंत्री चुने जाने के बाद आपतकाल की स्थिति न होती, चुनाव होते और चुनाव हो कर वह आ गयी होतीं तो शायद इस बिल की नौबत ही नहीं आती । मगर चूंकि आपतकालीन स्थिति थी, इमरजैंसी लगी थी और उसके अन्दर चुनाव नहीं हो रहे थे और पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही थी इसलिए उनके चुनाव की नौबत नहीं आई । लेकिन अब मैं समझता हूं कि आपतकालीन स्थिति इमरजैंसी आप उठा रहे हैं बोरडर्स को छोड़ कर तो शायद यह चुनाव करने में दिक्कत नहीं होगी । लेकिन जो इस वक्त मूल आधार है कि हमेशा प्रधान मंत्री जो हो वह इस सभा का हो और जहां तक यह एक चौथाई या आधे का सवाल है वह भी एक उपयुक्त मसला है और मैं समझता हूं कि अपर हाउस के मेम्बर को और खास करके बाहर से मेम्बर लाकर उनको कैबिनेट मंत्री या अन्य मंत्री बनाना फिर अपर हाउस में चुनवा देना यह बात भी शायद लोकतंत्र के खिलाफ है । एक तो मंत्री बना देना पहले ठीक नहीं और फिर राज्य सभा के मेम्बर बनाये रखना यह भी लोकतन्त्रात्मक नहीं है ।

श्री सी० के० भट्टाचार्य ने एक उदाहरण दिया मद्रास का । वहां पर मुख्य मंत्री बनाये गये थे श्री राजगोपालाचार्य नौमिनेट करके तो वह एक गलत प्रथा ही थी और उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी गलत प्रथा हुई जब श्री चन्द्रभानु गुप्त मुख्य मंत्री बनाये गये नौमिनेट करके । बाद को वह चुने गये । इसलिए यह गलत प्रथायें कभी उदाहरण नहीं हो सकतीं । अगर इस विधेयक की भावना को सरकार मान लेंवें तो शायद यह गलत प्रथाएं नहीं रहेंगी चाहे अमेंडमेंट हो या न हो । हमने अपना संविधान लिखित रक्खा है और हमने यह प्रथा रक्खी है कि जहां कहीं भी हमारा संविधान चुप हो मौन हो तो हम इंग्लैंड की प्रचलित प्रथा को फौलो करेंगे । अब इंग्लैंड में यह प्रथा प्रचलित हो चुकी है कि प्रधान मंत्री हाउस ऑफ़ कामन्स का होगा । वहां पर लिखित नहीं है लेकिन यह उनका एक कन्वेंशन चला आ रहा है ।

हमारे यहां उस दिन यह मसला पेश था मधु लिमये साहब का इसी आधार पर कि जो राज्य सभा का हो वह प्रधान मंत्री नहीं हो सकता है । प्रधान मंत्री को लोक सभा का मैंबर होना चाहिए । हमारे स्पीकर को मजबूरन यह कहना पड़ा और यह व्यवस्था देनी पड़ी कि चूंकि हमारे संविधान में ऐसी रोक नहीं है इसलिए दोनों हो सकते हैं । यह व्यवस्था आपकी दी हुई है । यहां पर है

यह मामला इसलिए आया कि संविधान में हमारी त्रुटि रही क्योंकि संविधान बनाते हुए शायद उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा हो कि उस परम्परा को हम भी मानेंगे कि हमेशा प्रधान मंत्री लोकसभा का ही होगा। विधान में लिखित रूप में यह व्यवस्था नहीं होगी लेकिन इस स्वस्थ परम्परा का हमारे द्वारा पालन किया जायगा। लोकसभा हर तरीके से बजट के लिए सरकार को रुपया पैसा मंजूर करने का अधिकार रखती है और मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। अगर राज्यसभा मे कोई प्रस्ताव सरकार के खिलाफ़ पास भी हो जाय, कोई सरकार का बिल फेल भी हो जाय तो सरकार उसके लिए इस्तीफा देने को बाध्य नहीं है लेकिन अगर वही चीज यहां लोक सभा में हो जाय तो वह सरकार कायम नहीं रह सकती है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक चौथाई लोग हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स में शायद जो कि राज्य सभा के मेम्बर्स हैं। 8 मिनिस्टर्स वहां के हैं। आज लोगों में जो इसको लेकर एक चर्चा चल पड़ी है वह ठीक नहीं है और हमें देखना चाहिए कि लोग ऐसा न समझें कि हम लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। यहां सदन में इस बिल के ऊपर चारों ओर से जो सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं सब ने किसी न किसी रूप से इसका समर्थन किया है और किसी ने इसके अन्दर निहित भावना का विरोध नहीं किया है। जो भी हो लोग इसके समर्थन में बोले हैं उनका अभिप्राय: किसी व्यक्ति पर कोई आक्षेप करना नहीं है क्योंकि सभी ने चाहा है कि एक स्वस्थ लोकतंत्रीय परम्परा का हमारे द्वारा पालन किया जाना चाहिए। अगर उसूल सही है तो व्यक्ति हमेशा अच्छा काम करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक के लाने वाले मित्र से अनुरोध करूंगा कि वह अपने इस बिल को वापस ले लेवें। सदन की राय आम तौर पर मालूम हो गई है और मैं चाहूंगा कि उसी भावना के अनुरूप हाथी साहब अपने विचार रक्खें ताकि आयन्दा अगर आवश्यकता पड़े तो सरकार इस प्रकार का अमेंडमेंट ले आवे।

Mr. Chairman: May I know how many minutes the on. Mover will take?

Shri Hari Vishnu Kamath: About 15 minutes only.

Mr. Chairman: Ten minutes.

Shri Hari Vishnu Kamath: 10 to 13 minutes. The time may be extended up to 5.30. Half a minute will do for my hon. friend Shri A. T. Sarma to move his motion in respect of the next Bill.

Mr. Chairman: Shri Kripalani.

Shri J. B. Kripalani (Amroha): Mr. Chairman, Sir, the governance of a country is not regulated by the Constitution. If it were regulated by the Constitution it would break down, because the Constitution is theoretical and governance is practical. For instance, the King of England can make the whole population of England into Lords. Will he do it? He will never do it. He can dismiss the whole army; will he do it? He can also say that he is the commander of the army and therefore he must command the army. Can he do it? He cannot do all these

[Shri J. B. Kripalani]

things. These things are regulated by conventions.

Take the instance of the American constitution, with the three departments of the constitution: the President, the House of Representatives and the courts. If each one of them insisted upon their theoretical rights, the constitution of America would break down. But they have well-recognised conventions, through which the constitution works. Here, I am very sorry to say that the Congress Government thinks only in terms of getting over the temporary difficulties that arise. And in their anxiety to get over these difficulties, they create conventions that are very harmful. My hon friend gave the instance of once Rajagopalachari being raised to the Upper House: on what ground, one does not know. Perhaps he is a literary man and so he did not fight the elections and he did not want to fight the elections; he became the Chief Minister, displacing somebody who had really the majority. When he became the Chief Minister with a minority, some people turned to the Congress and the majority was secured.

Again, the example of Uttar Pradesh was given. The example of our present Prime Minister was given. These are not good conventions. I entirely agree that in this matter, it is not a question of changing the Constitution, but creating healthy conventions. These things are done through conventions, and I am afraid the Congress is in the habit of creating bad precedents. Why has it had to create bad precedents? It thinks that it is immortal: that it is going to rule this country for ever and therefore they do not mind what conventions they create. They must know that such things come home to roost. Tomorrow, there will be other governments. After all, nothing is eternal in this world. I remember a story in the Mahabharata. The eldest of the Pandavas, Yudhishtira, was asked: "What is the most strange thing in the universe?" He said: "The strangest thing in the universe is that we all die but everybody thinks I am immortal!" So the Congress thinks that it is immortal. It is creating very bad precedents. It must understand that it will be sometime the Opposition and these precedents would stand in the way of its functioning properly as it stands in the way of our functioning properly.

I am very sorry to refer to one matter. I am afraid, in the last election of the leader of the Congress Party, the elections took place in such a way as would degrade the high office. It would not lend dignity to the high office because there are so many people who claim that they were instrumental in bringing Indiraji to the exalted position of Prime Minister. First of all, there is Kamaraj Sahib, then there is Atulya Ghosh Sahib, then there is D. P. Mishra Sahib.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): Sukhadiaji.

An hon. Member: How is this all relevant?

Shri J. B. Kripalani: It is relevant. Then there was the Governor who came all the way from Kerala. All these claim to have been the king-makers or the queen-makers. Not only they claim, but they go about boasting about it as if they have done a very creditable thing in asking the Congress members to vote one way

or the other. They speak as if the Congress voters are dumb driven cattle, they are in the hands of the Chief Ministers, they have no existence of their own, they have no judgment of their own.

Mr. Chairman: I may tell Acharyaji one thing. He has not heard the discussions here. In this Bill, as far as the principle is concerned, most of the Congress Members have agreed with it. Therefore, I would request him kindly not to speak in a manner that would be derogatory to the Congress Party as such.

Shri Sheo Narain: Sir, 170 voted against. How does he think we are dumb driven cattle?

Shri J. B. Kripalani: My remarks are not derogatory. I have absolutely no doubt that Indiraji would have become the Prime Minister on her own account. What I am talking of is the methods that are used and the methods that were abused this time. I have absolutely no doubt that if these methods had not been used perhaps she might have got more votes. That is not the question. The question is not whether Congressmen did the right thing or the wrong thing. The question is that they did it in the wrong way. For a Chief Minister to call all the Chief Ministers of the States and to make them promise that they will support Shrimati Indira Gandhi, I say, is degrading the high office of the Prime Minister. That is what I say. It is not that she would not have got it. She would have got it. I am sure if she had stood in the by-elections, she would have been chosen. And, if she was shy of contesting a by-election it was good for Indian ladies to be a little shy.

Mr. Chairman: He should try to conclude now.

Shri J. B. Kripalani: I have finished.

श्री विश्वनाथ राय (देवरिया) : माननीय सभापति महोदय, लोक सभा और राज्य सभा का प्रश्न उठाना माननीय श्री कामत जैसे अनुभवी संसद्-सदस्य के लिए बहुत ज्यादा बुद्धिमानी की बात नहीं जान पड़ती है । यह सही है कि लोक सभा बालिग़-मताधिकार के आधार पर चुनी जाती है और राज्य सभा राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा चुनी जाती है । जहां तक प्रतिनिधि स्वरूप, रिप्रेज़ेन्टेटिव कैरेक्टर, की बात है, वह तो दोनों सदनों में है । राज्य सभा को प्रदेशों के प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन उस सदन को भी वही अधिकार प्राप्त हैं, जो कि इस सदन को प्राप्त हैं । कांस्टीट्यूशन के अनुसार मनी बिल को पेश करने के अतिरिक्त दोनों सदनों के अधिकार, प्रतिनिधिस्वरूप (रिप्रैज़ैन्टेटिव कैरेक्टर) और अन्य सब बातें एक सी हैं । बिल इस सदन में पेश हो सकते हैं और उस सदन में भी । सवाल भी दोनों सदनों में पूछे जा सकते हैं । ऐसी हालत में यह समझना ठीक नहीं है कि किसी एक सदन को अधिक अधिकार हैं और दूसरे को नहीं हैं । संविधान को पढ़ने से ऐसा कोई आभास नहीं मिलता है ।

जहां तक यह प्रश्न है कि उस सदन के सदस्य मंत्री बनाए जा सकें या नहीं, स्वयं प्रस्तावक महोदय ने यह बात स्वीकार कर ली है कि उस सदन के सदस्य भी कैबिनेट के मंत्री हो सकते हैं, उसका अर्थ यह है कि उस सदन के प्रतिनिधिस्वरूप या रिप्रैज़ेन्टेटिव कैरेक्टर को वह स्वयं इस बिल में स्वीकार करते हैं । जहां तक संख्या का प्रश्न है, वह चाहते हैं कि कैबिनेट के एक चौथाई मंत्री से अधिक राज्य सभा के सदस्य न हों । मैं समझता हूं कि एक सिद्धान्त को मान लेने के बाद उसकी [illegible]टेज को न मानना कोई तर्कपूर्ण बात नहीं जान पड़ती है ।

मैं उनका समर्थन करता, अगर वह इस आशय का बिल पेश करते कि उस सदन

[श्री विश्वनाथ राय]

का कोई भी सदस्य मंत्री न हो । तब तो इस बात में कुछ बल होता कि प्रतिनिधिस्वरूप के आधार पर केवल इसी सदन के सदस्य मंत्री बनाए जायें । लेकिन संविधान के अनुसार दोनों सदनों के अधिकार बराबर हैं । माननीय सदस्य ने संविधान में संशोधन करने के लिए जो बिल रखा है, उस की क्लाजेज में आपस में विरोधाभास है, कान्ट्राडिक्शन्ज हैं । उनकी संख्या सम्बन्धी बात में कुछ बल नहीं है और वह तर्कपूर्ण भी नहीं है । इस लिए उस क्लाज का खुल्लम खुल्ला विरोध करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए ।

जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि उस सदन का कोई सदस्य प्रधान मंत्री न हो या राज्यों में जो सदस्य बालिग़-मताधिकार के आधार पर निर्वाचित न हों, वह मुख्य मंत्री न हों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां कैबिनेट की संयुक्त जिम्मेदारी, जायंट रेस्पांसिबिलिटी, होती है । प्रधान मंत्री और उसके सहयोगी मंत्रियों और इसी प्रकार मुख्य मंत्री और उस के सहयोगी मंत्रियों की संयुक्त जिम्मेदारी होती है । कैबिनेट की जायंट रेस्पांसिबिलिटी होते हुए भी माननीय सदस्य उस के सदस्यों, मंत्रियों, में भेदभाव करना चाहते हैं । अगर जायंट रेस्पांसिबिलिटी को ख़त्म कर दिया जाये और गवर्नमेंट में व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो, तो मंत्रियों में अन्तर किया जा सकता था । लेकिन जब संयुक्त जिम्मेदारी का सिद्धान्त प्रचलित है, तब प्रधान मंत्री और उसके सहयोगी मंत्रियों या मुख्य मंत्री और उसके सहयोगी मंत्रियों में कोई अन्तर नहीं किया जा सकता है ।

माननीय सदस्य ने संविधान में संशोधन करने के लिए जो बिल पेश किया है, उस में एक मौलिक बात को स्वीकार किया गया है, लेकिन जो उसकी डीटेल या विस्तार की बात है, वह उसके विपरीत है, उस को विरोधी है । इस लिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं । अगर कभी वह कोई दूसरा बिल लायें, जिसमें यह व्यवस्था हो कि केवल लोक सभा के सदस्य ही प्रधान मंत्री या मंत्री हों, तो उस पर विचार किया जा सकता है । उस स्थिति में उनको संविधान में यह संशोधन भी रखना होगा कि राज्य सभा और लोक सभा के अधिकारों में भी अन्तर है । जब तक दोनों सदनों के अधिकारों में कोई अन्तर नहीं है, तब तक यह संशोधन पेश करना तर्कपूर्ण नहीं है कि प्रधान मंत्री या अन्य मंत्री किस सदन के हों और किस सदन के मंत्रियों की संख्या कितनी हो ।

सभापति महोदय : श्री बाल्मीकी । आप चार मिनट में अपना भाषण समाप्त करें ।

Shri Hari Vishnu Kamath: If Sarmaji does not object, it may go upto 5-30 P.M.

श्री बाल्मीकी (खुर्जा): सभापति महोदय, मैं श्री हरि विष्णु कामत के इस विधेयक का समर्थन करता हूं । देश के अन्दर लोक कल्याण पर आधारित प्रजातंत्र की ज्योति जलती रहनी चाहिये और उसके अन्दर जो संसदीय प्रणाली है उसका भी एक आधारभूत स्थान होना चाहिये । यह ठीक है कि संसदीय प्रणाली खर्चीली है । जॉन स्टूअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक "आन लिबर्टी" में इसको प्रदर्शित किया है और कहा है कि यह प्रणाली खर्चीली है और कुछ विशेष पद्धति के अनुसार जो एक प्रकार से प्रोफैशनल या पेशेवर होते हैं वे ही कुछ अपनी बुद्धिमत्ता और शब्दाचार से लाभ उठाते हैं । लेकिन मैं उधर उतना

नहीं जाता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने देश के अंदर लोकतंत्र पर आधारित समाजवाद को माना है । वह समाजवाद हमारे देश में अपना एक रूप धारण कर रहा है । किसी परिभाषा से नहीं, किसी प्रारूप से नहीं, किसी प्रा-धारा से नहीं। फिर भी इस प्रकार की एक पद्धति बनती है और उसका स्वागत किया जाता है । जिस तरह से उस पद्धति के अधीन परम्परायें स्थापित होनी चाहियें, उसका प्रभाव पनपना चाहिये, वह देश में नहीं पनपा है ।

यह पहला ऐसा विधेयक है जोकि इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, इस मदन का ध्यान आकर्षित करता है । इस देश के अन्दर इसका मंशा यह है कि संसदीय प्रणाली पनपनी चाहिये समाजवाद के आधार पर और उस पद्धति के आधार पर जो हमने अपनाई है । उसके पीछे कुछ प्रति-भावना ऐसी होनी चाहिये जिससे यह माना जा सके कि यह लोकमत को मानने की बात है, लोकाचार को मानने की बात है, लोगों के प्रभाव को मानने की बात है ।

यहां हमारी संसद् के प्रथम द्वार पर अथर्व वेद का यह मंत्र लिखा हुआ है :

लोक द्वा रामपावार्णू पश्येम त्वा वयं वैरा ।

उसके बाद इधर लोक-सभा के द्वार पर भी यही मंत्र लिखा हुआ है । यह लोक द्वार है । लेकिन आप देखें कि उधर राज्य सभा के द्वार पर कुछ नहीं लिखा हुआ है । वह लोक-द्वार नहीं है, वह लोकाचार नहीं है । इस चार दीवारी के अन्दर दो सदन हैं । एक तो यह सदन है जिस को लोक सभा कहते हैं और एक राज्य सभा है । राज्य सभा का प्रभाव आज हमारे मस्तिष्क पर उतना नहीं आता है, नहीं पड़ता है । जो सामन्त-शाही प्रणाली है, जो राजा की प्रणाली है, वह हमारे मस्तिष्क से जा रही है और हमारे मस्तिष्क के अन्दर लोक-भावना का उद्भव हो रहा है, लोकाचार की प्रति-भावना उत्पन्न हो रही है । जब ऐसी बात है तो कोई वजह नहीं है कि उच्चतम सत्ता पर, उच्चतम पद पर कौन बैठता है, इसको हम न देखें । कहां पर उच्चतम सत्ता प्रवाहित होती है, कहां पर वह सावरेनटी रहती है इसको हमें देखना चाहिये । वह इस लोक सभा के अन्दर रहती है । इसलिए उच्चतम स्थान चाहे प्रधान मंत्री का हो, चाहे मुख्य मंत्री का हो और वह मंत्रीगण के रूप में भी हो सकता है, वह वहां तो विधान सभा के किसी सदस्य को प्राप्त हो और यहां इस सदन के किसी सदस्य को प्राप्त हो, वह चुने हुए लोगों को जाना चाहिये, उनको प्राप्त होना चाहिये । उनको प्राप्त होना चाहिये जो जनता की प्रति-भावनाओं का, जनता की मनोभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हों और कर सकें ।

यह प्रभाव और यह प्रतिभा कई बार पकड़ कर और ला कर बिठा दी जाती है । यह पता नहीं पड़ता है कि उसे बालों से पकड़ कर उठाया जाता है या उसे पैरों की तरफ से पकड़ कर उठाया जाता है । उसको ला कर मंत्री के रूप में सजा कर, बिना किसी दरवाजे के बिठा दिया जाता है । यह ऐसी बात नहीं है कि जिस का समर्थन किया जा सके । मैं इस विधेयक में इसलिए विश्वास करता हूं कि इस में उस प्रतिभावना का आधार निहित है और उसका आधार होना चाहिये, एक समभाव के साथ आदर होना चाहिये ।

एक बात और मैं अवश्य कहना चाहूंगा । मंत्री लोगों के बारे में जब बाहर यह पूछा जाता है कि वे कैसे बनते हैं और कैसे नहीं बनते है तो वहां उन्हीं में से एक आदमी बीच में, खड़ा हो कर कहता है कि जो नाक का बाल है, जो लग्गू-पिछलग्गू होता है, जो खुशामदी होता है, जो उनके भाव के प्रति-भाव के रूप में कार्य करता है, उसको बना दिया जाता है । वह बने या न बने और किस प्रकार बने, इस बारे में मैं कोई शिकायत नहीं करता हूं ।

[श्री वाल्मीकी]

लेकिन यह शिकायत मेरी जरूर है कि लोकतंत्र के अन्दर लोक-भावना जो है उसकी कद्र होनी चाहिये, लोक सभा की भावना की कद्र होनी चाहिये। मैं संसद् सदस्य की तरह से कहना चाहता हूं कि कोई भी किसी प्रकार का चुनाव जो एक प्रति-रूप से होता है, उस पर कोई बड़े से बड़ा प्रभाव भी मुझे निम्न नहीं कर सकता है, नीचे नहीं कर सकता है। लोकतंत्रात्मक पद्धति के हम सभ्यगण, संसद् सदस्य है। लोक सभा के जो सदस्य होते हैं उनको महत्व दिया जाता है, तभी प्रजातंत्र के अन्दर संसदीय प्रणाली पनपती है और उसका एक आधारभूत प्रति रूप हमारे सामने आता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और जरूर चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री खास कर लोक सभा और विधान सभाओं से चुने जायें, लोगों द्वारा चुने हुए सदस्यों में से लिये जायें। राज्य सभा और विधान परिषदों के जो सदस्य होते हैं, उनको हमारे ऊपर थोपा न जाये। वे प्रजातंत्र को, वे संसदीय प्रणाली को मजबूत नहीं करते है, बल्कि कमजोर करते हैं। मैं यह भी चाहता हूं कि अगर कहीं वे अधिक संख्या में हैं तो उनकी संख्या को भी कम किया जाये।

हमारे मंत्री महोदय इस विधेयक को मानें या न मानें लेकिन ऐसा विधेयक वह अवश्य लायें जिस से हमारे देश के अन्दर संसदीय प्रणाली में स्वस्थ परम्परायें पनपें। अगर ऐसा उन्होंने किया तो मैं समझता हूं कि लोगों का इसमें विश्वास दिनोंदिन बढ़ता जायेगा, दृढ़ होता जायेगा।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का मूल रूप से समर्थन किया है। कांग्रेस की तरफ से हर एक मेम्बर ने इस बात को माना है कि हमारे मुख्य मंत्री और हमारे प्रधान मंत्री को तो कम से कम विधान सभा और लोक सभा का चुना हुआ सदस्य ही होना चाहिये।

लेकिन मैं समझता हूं कि बहस इस बात की नहीं है। बहुत से मेम्बरों को इस बात का अफसोस है और वे समझते हैं कि सिर्फ इन्दिरा जी के व्यक्तित्व को ले कर इस विधेयक को यहां लाया गया है। मैं समझता हूं कि प्रस्तावक महोदय का यह कतई मंशा नहीं है। किसी का भी यह मंशा नहीं है। परन्तु आप देखें कि स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश की बात मैं बताता हूं। वहां ऐसे लोग मंत्रि-मंडल में रखे गये हैं जोकि इलैक्शन में हार चुके हैं। उनको बैकडोर से काउंसिल का मेम्बर बना कर मंत्री बनाया गया है। सिद्धान्त के रूप में अगर आप प्रजातंत्र का आदर करते हैं, लोकतंत्र का आदर करते हैं तो लाजिमी तौर पर रूलिंग पार्टी को यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वह देखे कि किस तरह से लोकतंत्र का आदर हो सकता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि उनकी यह आस्था दिनों दिन गिरती जा रही है। यही कारण है कि झगड़े उठते हैं। मूलभूत सिद्धान्त जो प्रजातंत्र का है उसको रूलिंग पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है और जबर्दस्ती इन चीजों को करती है और इसका नतीजा यह होता है कि झगड़े खड़े होते हैं।

हमारे कामत जी ने दो बातों का उल्लेख किया है। पहली बात उन्होंने यह कही है कि मुख्य मंत्री चाहे प्रान्त का किसी का हो या केन्द्र का प्रधान मंत्री हो, उसको विधान सभा का और प्रधान मंत्री को लोक सभा का सदस्य होना चाहिये। साथ साथ मैं इस मत से भी सहमत हूं कि इस गरीब देश में जहां लोगों को रोटी नहीं मिलती है, तरह तरह की समस्यायें हमारे सामने हैं, दुश्मन हमारे

द्वार पर खड़ा है, हम अपने लोकतंत्र के खर्चे को घटायें और जो गैर-जरूरी चीजें हैं उनको न करें। यह जो मुद्दा है इसको प्राप्त करने के लिए मैं समझता हूं कि राज्य सभा अगर न भी हो तो भी हमारा काम चल सकता है, विधान परिषदें अगर न भी हों तो भी हमारा काम चल सकता है।

जहां तक अल्पमतों को लाने की बात है, लोक सभा में भी लोगों को नामिनेट किया जाता है और अल्पसंख्यकों को यहां भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, उनको यहां भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है। मैं नहीं समझता हूं कि राज्य सभा और राज्य विधान परिषदों के फंकशंज क्या हैं।

मूल रूप से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार संविधान में परिवर्तन करे या न करे लेकिन कम से कम मंत्री महोदय को सदन को आश्वासन देना चाहिये कि आइंदा से ऐसी बात नहीं होगी और हमेशा जो भी मंत्री होगा वह लोक सभा का सदस्य होगा और राज्यों में जो मंत्री होगा वह विधान सभा में जो चुन कर आता है, उस में से ही होगा। यह जो आश्वासन है, यह हमें आज मंत्री महोदय की तरफ से मिलना चाहिये।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : कामत जी के बिल पर चर्चा करते समय सब से पहले मैं उन्हें बधाई दूंगा कि उन्होंने इस सदन के सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को पेश किया है और मैं समझता हूं कि हम सब को उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। यह सही बात है कि केन्द्र में और प्रान्तों में शासन का नेतृत्व कौन करे, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, नेता कौन से सदन से हो, यह एक महत्वपूर्ण बात है जो कि हमारे कामत साहब ने रखी है।

लेकिन इस सदन में जो चर्चा हुई है उसमें मुझे लगा है कि हम लोक सभा को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और दूसरे सदन यानी राज्य सभा जो है उसको कम महत्व दे रहे हैं। कांस्टीट्यूशन को जब मैं पढ़ता हूं, देखता हूं तो मुझे लगता है कि आखिर लोक सभा का सदस्य कौन है? एक कांस्टीटुएंसी के आदमी उसे चुन देते हैं और वह आदमी इधर आ जाता है और राज्य सभा का सदस्य कौन है? क्या वह आसमान से उठ कर आता है? एक प्रदेश के पूरे प्रदेश की जनता द्वारा चुने गये आदमी बैठते हैं, गम्भीरतापूर्वक विचार करते हैं और वह एक आदमी को चुन कर राज्य सभा में भेजते हैं। मेरे सामने यह प्रश्न है। मैं इस लोक सभा का सदस्य हूं। इस सदन् की महत्ता को मैं जानता हूं। अगर मैं इस सदन् के व्यक्ति की कीमत कम करता हूं तो मैं समझता हूं कि मैं अपनी कीमत भी कम करता हूं।

17 hrs.

लेकिन मैं समझता हूं कि मैं दूसरे भाइयों की कीमत कम करूं यह भी मेरी दृष्टि में एक गलत बात होगी। मैं ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हूं या वह आदमी ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है जोकि मेरे जैसे सैकड़ों आदमियों द्वारा चुन कर भेजा गया है और वहां बैठा है? मेरे सामने तो यह एक बड़ा उलझन भरा सवाल है और मैं समझता हूं कि श्री कामत का बिल इस उलझन वाले सवाल को हल करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। प्रजातंत्रीय प्रणाली में हमारे सामने यह प्रश्न है कि राज्य सभा के सदस्य का अधिक महत्व है या लोक सभा के सदस्य का अधिक महत्व है? संविधान ने हमारे अधिकारों की सीमाएं खींच दी है। वह एक अलग विचारणीय बात है लेकिन मैं यह कभी मानने को तैयार नहीं हो सकता हूं कि उस सदन् में गया हुआ आदमी हमारी अपेक्षा अयोग्य है और उसे कम अधिकार दिये जाय या उसके कम अधिकार हैं। वह एक राज्य का नेतृत्व करने में सक्षम है या अक्षम है इस तरीके की बात तय करना मुझे नहीं लगता कि वह उचित होगा। मैं समझता हूं कि लोक सभा के सदस्य का वही महत्व है जोकि राज्य सभा के सदस्य का महत्व है और

[श्री ज्वा प्र० ज्योतिषि]

इसलिए यह नेतृत्व का प्रश्न जो उठे तब हम इस तरीके से डिमार्केशन करें जब तक कि कांस्टीट्यूशन डिफ़ाइन नहीं करता है तब तक वह गलत बात होगी ।

कृपलानी जी ने फलैक्सेबुल कांस्टीट्यूशन की बात कही है । मुझे यह बात बहुत पसन्द है । मैं यह चीज पसन्द करता हूं कि कांस्टीट्यूशन द्वारा नहीं बल्कि स्वस्थ परम्पराओं द्वारा कार्य निर्धारित किये जाने चाहिएं लेकिन कल कांग्रेस ने अगर कोई बात की थी तो आज चूंकि राजगोपालाचार्य कांग्रेस में नहीं हैं इसलिए मै उन के उस चुनाव को आज गलत ठहराऊं तो वह बड़ी गलत बात होगी । उस दिन जो बात कही गई थी मैं समझता हूं कि अच्छी बात कही गई थी । मद्रास के लिए एक अच्छी और मजबूत सरकार बनी नौमिनेशन से । प्रदेश के एक विचारवान व्यक्ति और एक कांस्टीट्यूशन के बनाने वाले व्यक्ति को उस प्रदेश के लोगों ने वहां भेजा और उन्होंने वहां काम और नेतृत्व सम्हाला और दूसरी जगह भी अगर इस तरीके की बात की गई तो वह कोई गलत बात नहीं है . . . .

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी : मुझे बहुत दु:ख है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण और कुछ उलझन भरा हुआ विषय है और इसलिए इस प्रश्न को दो, चार मिनट में हल नहीं किया जा सकता है । श्री कामत ने जो विचार हम लोगों के सामने रखे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि अभी आगे इस पर और विचार किया जायेगा ।

Mr. Chairman: Now, Shri P. Venkatasubbaiah.

Shri Rajaram (Krishnagiri): Nobody from my party, the DMK, has spoken. Could I have a chance?

Mr. Chairman: There is no time now.

Shri Hari Vishnu Kamath: He can have two or three minutes.

Shri Rajaram: I would like to have just two or three minutes. Nobody from the DMK has spoken so far.

Mr. Chairman: The hon. Member may resume his seat. There is no question of parties here. The question is one of catching the eye of the Chair.

Now, Shri P. Venkatasubbaiah. He will conclude his speech in four minutes.

Shri P. Venkatasubbaiah (Adoni): I have been very attentively listening to the debate. Shri Kamath, an able parliamentarian thought it fit enough to bring forward this amendment to the Constitution. By implication he meant that the present set-up headed by the Prime Minister Shrimati Indira Gandhi was not according to the healthy conventions that ought to be established or set up by the Constitution.

Many hon. Members have compared our Constitution with that of Great Britain. When we compare the Rajya Sabha with the House of Lords we find that there is much of difference. The House of Lords is constituted in a different manner, whereas the Rajya Sabha is constituted in quite a different manner. We know that the Members of the various State legislatures are electing the representatives to the Rajya Sabha and those members are elected in turn by the general electorate in the various States. So, whether a Member of the Rajya Sabha has got a representative character or not is not a point in dispute. They are as much representative in character as the Members of the Lok Sabha.

Therefore, I would only point out to Shri Kamath that to say that a Member of the Rajya Sabha is not a real representative of the people is a misnomer.

The other point is regarding the manner in which the elections were held for the highest office in our country, namely, the Prime Ministership.

Acharyaji knows as a former President of the All India Congress Committee that even before the Congress took office in this country, a parliamentary board was constituted to select candidates for contesting the elections. Strictly in law or according to the constitution, the parliamentary board which is purely an organisational body has no control over the selection of candidates who would become the legislators, how it is to be done and so on. It is quite a different matter that the Congress organisation took the responsibility of running the Government.

A healthy convention has been evolved which other parties are also following. The Congress Working Committee takes a view that so and so should be the Chief Minister and such and such persons should contest the elections. It is an internal arrangement so far as organisation is concerned. The Chief Minister is as much a Congressman as any Member of the Congress Party in the Lok Sabha and he has got every right to express his opinion though strictly in a constitutional sense it may be repugnant. But it is consistent with the practice that has been followed in the country for a long time. So it is not at all correct to say that the Members of the Lok Sabha are like dumb driven cattle influenced by the Chief Ministers.

I would only conclude by saying that this Bill is not at all necessary. We have to build up healthy conventions and as far as it is practicable to do so, see that the real representatives of the people are elected.

Shri Rajaram (Krishnagiri): I am supporting Shri Kamath's Bill. In this connection, even if Shri Kamaraj happened to be a Member of this House, he would, I think, have supported Shri Kamath's Bill.

Everybody talked about Shri Rajagopalachari's regime at Madras. But nobody remembers the Kamaraj regime there. When he was chosen the Chief Minister of Madras, he contested the election after three months. Without knowing the recent history, you are bungling the whole case.

As far as our country is concerned, it is a democratic country. I do not wish to quote the various examples of other parliamentary systems, as has been done by other Members. It is not necessary. Our independence is, after all, only 18 years old. We are here to create certain healthy conventions which will be good precedents for the future. One such good convention is that the Prime Minister and the Chief Minister must be chosen from the directly elected House. That is the essence of Shri Kamath's Bill. He has got no aversion or any such feeling to the present Prime Minister.

Shri Hari Vishnu Kamath: No, not in the least.

Shri Rajaram: We want to lay down only healthy conventions. As such, this Bill must be unanimously supported by all Members. I am also supporting his Bill in that sense.

As far as the provision regarding one-fourth is concerned......

Shri Hari Vishnu Kamath: Not more than one-fourth of the Council of Ministers shall be from the other House.

Shri Rajaram: He is insisting that more Members chosen as Ministers should be from this House. We must unanimously support this.

So we should all join together in supporting Shri Kamath's Bill.

Shri A. V. Raghavan (Badagara) *rose*—

Mr. Chairman: You know full well what was the time. I could not help, in spite of extending the time by nearly half an hour. Now, the hon. Minister will speak.

Shri Onkar Lal Berwa: Two minutes please.

Shri A. V. Raghavan: I only wanted to say***

Mr. Chairman: That will not go on record. I want discipline here.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): I welcome this opportunity given by Mr. Kamath to discuss this subject......

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : सभापति महोदय, हाउस में कोरम नहीं है ।

Mr. Chairman: Please carry on. I will count myself.

श्री ओंकार लाल बेरवा सभापति महोदय, जब तक हाउस में कोरम न हो, कार्यवाही नहीं चल सकती है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने कोरम का सवाल उठाया है । मैं इस को देखता हूं । अब वह बैठ जायें ।

Shri Hathi: ...... giving an opportunity to the Members and to the Government to express their views.

Mr. Chairman: There is quorum.

श्री ओंकार लाल बेरवा : कोरम नहीं है ।

Mr. Chairman: There is quorum. Count me also.

मैं माननीय सदस्य से और दूसरे सदस्यों से अदब से अर्ज करूंगा कि कोरम का सवाल उठाने से पहले वे देखें कि कोरम है या नहीं । कोरम है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : नहीं है । आप गिन लीजिये ।

Mr. Chairman: The bell is being rung. ......Now there is quorum.

Shri Hathi: I may at once say that so far as the Government and the party and all of us are concerned, those who believe in democracy, the parliamentary method, there can be no doubt in principle that the Prime Minister should be normally a Member elected to the Lok Sabha.

Mr. Kamath in his speech had dealt at length with the precedents and constitutions in various countries, but why need we go and look to the precedents when we ourselves agree in principle? But he is a very able parliamentarian, it is always a treat to hear him, to hear his arguments, intellectual and witty. He cited the constitutions of different countries. He also said, I should say to his credit, that he did not refer to a particular individual but at least he knows the time when a measure should be brought. This is the time, when he naturally thought that because in the Cabinet there are more Members from the Rajya Sabha and because the Prime Minister also happens to be from the Rajya Sabha, this is the proper opportunity, for bringing this Bill so that he may get support from his party and others.

17·16 hrs.

[SHRI P. VEKATASUBBAIAH *in the Chair*]

But he must have seen whether at this time or otherwise, most of the Members on this side who spoke have said that they in spirit agree to the principle but that to amend the Constitution would not be proper.

Shri Kripalani, a very experienced, wise and elderly person has rightly said that the Constitution is theoretical, what is needed is something practical; therefore, it is by conventions that we should lay down healthy

***Not recorded.

principles and healthy procedures and conventions. He said that we are making conventions by bad precedents. So far as the Prime Minister of India is concerned, this is the only occasion when under certain circumstances, and where elections are not being held and there were unfortunate demises of Prime Ministers—the demise of two Prime Ministers in two years. I thought Acharya Kripalani would take me seriously and not laugh me out. I have been referring to him with very great respect, and on the contrary....

Shri J. B. Kripalani: ......I did not laugh.

Shri Hathi: I am sorry. I said what he has said; I accept that the Constitution is only theoretical and that what we should do is by conventions. I agree to that.

Shri J. B. Kripalani: I did not laugh.

Shri Hathi: Thank you. Therefore, it is a question of having conventions, and nobody would deny that we should set up healthy conventions and such conventions as have force more than any law, more than any written Constitution. It was unfortunate, as I said, that in the recent election of the leader, it came about because of a series of circumstances: the death of two Prime Ministers and then no elections were being held. But one thing has to be remembered after all: that the leader is elected by the majority party, and that way, the Prime Minister does command the confidence of the majority. But even then, it would be proper....

श्री ओंकार लाल बेरवा : सभापति महोदय, हाउस में कोरम नहीं है ।

Mr. Chairman: There is quorum now. The hon. Minister may continue his speech.

Shri Hathi: It was under these special circumstances, it happens to be that the composition of the Cabinet is what it is today. But, during the discussion, I was rather pained to hear some references made—not by the hon. Mover or Acharyaji or Shri Dandekar, but by some others—belittling the importance of the other House. After all, these are, both the Houses of Parliament, functioning as a Parliament and the Parliament of India, and the duties and functions of both the Houses are defined and prescribed by the Constitution. Therefore, to refer to one House with disrespect, as one of the hon. Members, Shri Bade did, is not proper.

An hon. Member: What did he say?

Shri Hathi: He used the word *yatimkhana*. Let us not use words which unnecessarily create a sort of bitterness or irritation or displeasure.

Shri Hari Vishnu Kamath: He said it in a lighter vein. Perhaps, not seriously.

Shri Hathi: I think, generally Shri Bade is sober.

Shri Bade: I am very sorry if that word is taken in that way. I never meant it.

Shri Hathi: I know he is generally very sober and he would not say such words, but very often in order to strengthen the force of the argument we might say that Ministers from that House are not useful at all and therefore they should not be there. That is not Shri Kamath's idea, because had it been there he would not have included in this Bill that not more than one-fourth of the members could be members for the Cabinet. Therefore, I am not attributing anything to him.

What I want to say is only this. After all, what is this? This is a subject in which every one of us is interested, and it is good that we have got an opportunity to express our views and giving our definite views on the subject. Therefore, I have nothing to

[Shri Hathi]

quarrel about what Shri Kamath said. He never uttered a word about the other House. He has not mentioned any derogatory remark about the other House.

Then, one of the hon. Members referred to the Prime Minister. He asked whether she would have won if she had contested. I am sure that if she had contested—it was not Acharyaji who said it; Acharyaji said that she would win any election; it was some other Member, who is not here, who said it, that she would be defeated—she would have definitely won. I only mention these things because it is not proper to bring in personalities.

Secondly, so far as the precedents are concerned, it is true that precedents, if followed repeatedly, make conventions; but all these years we have seen that both the Prime Ministers have been from the Lok Sabha. I may say that the present Prime Minister also has told me and has authorised me to tell you that she herself would have been willing to contest the election but for the emergency and because elections were not being held.

By and large, the principle or the spirit of the Bill is acceptable, but it should not be that there should be a total ban or bar. In exceptional circumstances, for a limited period, there should be no objection if the Prime Minister is also from the Rajya Sabha.

Shri Hari Vishnu Kamath: Six months' provision is there.

Shri Hathi: Therefore it is not a question of precedents.

As Acharyaji said, we should build healthy conventions because today it is the question of the Congress, another time it may be some other party. Whatever it may be, whatever convention is formed in the country, a national convention should be there, but it is not that the Congress is going on doing all this because it thinks that it is immortal. It is not so, but even if the Congress thinks that it is immortal. I think, it is good in a way because, as Acharyaji knows,

अजरा भरवत् प्राज्ञो विद्या मर्थम् च चिन्तयेत्

When it is a question......

Shri Hari Vishnu Kamath: Next line?

Shri Hathi: I am coming to that.

When it is a question of acquiring knowledge, science or achieving objects, a man should strive thinking that he is going to live long and is immortal. At that time he should not think that he is going to die; and therefore, no good acts or acquisition of knowledge should be done. The other line says:—

गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मं माचरेत् ।

When there is a question of following religion or doing duty, which we are doing, we should think that the next day we are going to die; therefore, do the right thing today and do not keep it off for tomorrow. That we are doing. The other thing is that everything good is to be done. But when the question is of setting up conventions, precedents, achieving knowledge, technology, science and all that, we should have a long-term view as if we are not going to die. That has to be done.

श्री ओंकार लाल बेरवा : चैयरमैन महोदय,, कोरम नहीं है ।

Shri Hathi: Therefore, What I would only submit is that while in principle the Government is agreeable to the spirit of the Bill, there cannot be any amendment of the Constitution.

Mr. Chairman: Shall I request the hon. Member not to press for quorum?

श्री ओंकार लाल बेरवा : चेयरमैन महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

Shri Hathi: I have finished, Sir. That is why I oppose the Bill.

Mr. Chairman: The bell is being rung. .. Now there is quorum. How long will the Minister take?

Shri Hathi: I will take only two minutes. I have nearly finished.

I would only submit that while the spirit behind the Bill is acceptable, it would not be proper to have such a provision in the Constitution. There may be occasions—that too for a limited period—a Prime Minister has to be from the other House. Therefore, it would not be proper to have such a provision in the Constitution. Therefore, I oppose the Bill.

Shri Hari Vishnu Kamath: Mr. Chairman, Sir, at the outset, permit me to congratulate you on taking the Chair....

Shri B. N. Kureel (Rai Bareilli): No quorum.

An hon. Member: There is quorum.

श्री ओंकार लाल बेरवा : नहीं है।

Mr. Chairman: The bell is being rung.. now there is quorum.

Shri Hari Vishnu Kamath: Sir, permit me at the outset to congratulate you on your assuming the Chairmanship. It is a maiden assumption, I think.

Mr. Chairman: No.

Shri Hari Vishnu Kamath: I am sorry. Anyway, I congratulate you.

I am grateful to all the Members on all sides of the House who have taken part in this very interesting debate. Temperamentally and otherwise, I am loth to blow my own trumpet but this is, if my memory does not betray me, one of those few Private Members Bills—I am not talking of Government Bills; they are in a special category—which have been discussed on three days in succession. I began my speech in the beginning of this month, the 1st day of April; it was resumed on the 15th April and today it is the 29th April and, when the point of quorum was raised, I was half-afraid it might be carried over to the last day of the session, the 13th of May. (*Interruption*) I am prepared for that so long as you maintain a quorum. If you go out and there is no quorum, unfortunately, the House will be adjourned and this will be postponed to the 13th of May.

I have kept a record, as it were, that 32 Members of the House have taken part in this debate, and it speaks for its importance, or at least the interest that this Bill has evoked in this House—19 Members of the Congress Party and 13 Members of the Opposition. It is a matter for gratification that of all the 32 Members who have spoken, not one Member except perhaps, I say with some regret, my old friend Shri Bishwanath Roy who spoke today, has opposed it wholeheartedly.

श्री ओंकार लाल बेरवा : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

Mr. Chairman: The bell is being rung.. now there is quorum. Shri Hari Vishnu Kamath may continue his speech.

Shri Hari Vishnu Kamath: As I was saying, the Bill has received wide support from all sections of the House, from all sides of the House, including the members of the ruling Party—the Congress Party—except, as I said, Shri Bishwanath Roy who opposed it today. Even those who did not support the Bill wholeheartedly, supported the idea underlying the Bill, the principle of the Bill: and I am

[Shri Hari Vishnu Kamath]

glad to say that the Minister also today—I would request the Minister to listen—in the course of his very sober and enlightening speech, extended his whole-hearted support to the principle of the Bill, to the idea underlying the Bill, and he has conveyed, I am glad to note, the view of the Prime Minister herself that she could have been the first to contest an election to the Lok Sabha, to the lower House of Parliament, and come into this House at the earliest opportunity as an elected member of this House, but unfortunately for her, the Emergency came in the way. I do not know why the Emergency should come in the way. Again I may make it clear as my friend, Mr. Dandekar said this afternoon—and other members also supported it—that there is no personal reflection on anybody, and least on the Prime Minister: what we are seeking to establish is a sound tradition, a healthy convention, and a respect for healthy, salutary, truly democratic principles. I, therefore, would like to ask the Government, the Home Minister, the Minister of State—we had a discussion on Emergency in the course of the debate on the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs—why this Emergency should come in the way. During the last World War, in 1945, when the World War was still on, in Britain there was a general..

श्री ओंकार लाल बेरवा : सभापति महोदय, कोरम नहीं है ।

Mr. Chairman: Is it the wish of the House to adjourn?

Several hon. Members: No.

Mr. Chairman: The bell is being rung. Now there is quorum. The hon. Member may continue.

Shri Hari Vishnu Kamath: I do not propose to inflict a long speech, but I would only refer to two or three points that were raised in the course of the debate.

An hon. Member: It is raining outside. There is *aandhi* also.

Shri Hari Vishnu Kamath: I do not know if it is a tempest, a thunderstorm or a *pushpavrishti;* I leave it to the House to judge.

It was Prime Minister Jawaharlal Nehru himself, I remember, who on the eve of the second general elections said that he expected every member of the Council of Ministers to contest election to the lower House or the Lok Sabha and come back to Parliament as Members of the Lok Sabha and then get into the Council of Ministers.

I was saying earlier that even when, when the last World War, the Second World War was on, there was a general election in Britain, and in the United States also, when the World War was on, there was a Presidential election. But here we are fighting shy of holding even by-elections. I do not know why. It is high time, now that the question of emergency is being seriously reconsidered, that at least by-elections should be held in the near future, so that the express desire, the heart's desire of the Prime Minister could be fulfilled and she could contest an election to the Lok Sabha and come into this House as a Member of this House. I only hope that the Home Minister, the Law Minister and the Election Commission will not come in her way, that is, in the way, of the Prime Minister, and thwart the fulfilment of her heart's desire of fighting a by-election to the Lok Sabha. I hope that a by-election would be held in the near future.

It has been said by certain hon. Members who took part in the debate

that this Bill implied a sort of disrespect to the other place, to the Rajya Sabha. Far be it from my mind to suggest any such disrespect or any such feeling towards the other House. But the Constitution which is sovereign—neither this House nor that House, but it is the Constitution which is sovereign—has made the two Houses unequal in status and functions.

श्री ओंकार लाल बेरवा : सभापति महोदय, सदन में कोरम नहीं है ।

Mr. Chairman: There is no quorum. What is the wish of the House? Shall we ring the bell again and again or adjourn the House?

An hon. Member: Let us adjourn.

Mr. Chairman: The House will now stand adjourned and meet again tomorrow at 11 A.M., for that seems to be the wish of the House.

17:43 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, April 30, 1966/Vaisakha 10, 1888 (Saka).